Time and cost over runs in Projects

1828. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have lost about Rs. 70,000 crore by way of time and cost overruns in projects being implemented by various Ministries; and

(b) if so, the details thereof and what steps are proposed to be taken to reduce the loss on time and cost overruns due to delay in implementation of the projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) No Sir. As per the details available with the Department of Programme Implementation there were 132 projects costing Rs. 20 crores and above as on 31.12.1996 which had suffered time and cost overruns. The estimated cost overrun was around Rs. 17874 crores (Seventeen thousand eight hundred seventy four crores).

(b) The sector-wise details of projects under construction and extent of time and cost overrun are given in Annexure. [See Appendix 181, Annexure No. 47]

The action being taken/proposed to be taken by the Government very from project to project and time to time. however, the nature of measures by the Govt. in general in the implementation is given in the enclosed Statement (See below). The fresh initiatives taken by the Government for achieving the said targets of project implementation are (i) proposal to introduce on-line monitoring system (ii) prioritisation of projects within available resources (iii) weeding out/ privatisation of projects making slow progress and (iv) more emphasis on accountability in project implementation through the system of memoranda of Understanding between Govt. and the Chief Executives of project implementing agencies. The approach Paper to the Ninth Five Year Plan duly approved by the National Development Council has endorsed these policies.

Statement

Steps taken by the Government to Streamline for preparing the Original Estimates and Implementation of Projects for Reducing overrun

i) Two-stage project approval.

ii) On line computerised monitoring system is being implemented.

iii) Intensive monitoring of projects at various levels to identify constraints and take remedial measures.

iv) Formation of empowered Committees with adequate financial powers.

v) Review by the Committee of Secretaries of the specific projects facing constraints.

vi) Setting up of project management team with tenure co-terminus with the gestation period of the project.

vii) Improving contract management system.

viii) Delegation of powers to field level executives.

बेरोजगारों के लिए रोजगार योजनाएं

1829. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कब-कब शुरू किया गया;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक योजना के अन्तर्गत उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया है जिन्हें रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और जून, 1997 तक प्रत्येक योजना पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन (ईएएस) और शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे अनेक केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। जिनका उद्देश्य गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इसके अलावा, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री, रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण रोजगार स्कीम जिसे 20 लाख रोजगार कार्यक्रम" के नाम से सामान्यतः जाना जाता है, भी देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इन स्कीमों को आरम्भ करने की तारीखें इस प्रकार हैं:

आईआरडीपी	— अक्तूबर, 1983
जे आर वाई	— अप्रैल, 1989
ई० ए० एस०	— अक्तूबर, 1993
एन० आर० वाई०	— अक्तूबर, 1989
पीएमआईयूपीईपी	— नवम्बर, 1995
पी० एम० आर० वाई०	— अस्तूबर, 1993
खादी एवं ग्रामोद्योग का 20 लाख रोजगार कार्यक्रम	— 1994-95

इन स्कीमों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(ग) बेरोजगार व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार के कोई अनुमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं किए गए हैं। परन्तु प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत 1997-98 के लिए 2-2 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) वर्ष 1996-97 में आई आर डी पी के अंतर्गत 1131.68 करोड़ रूपऐ खर्च किए गए और 18.93 लाख परिवारों को सहायता दी गई। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 3690.73 लाख मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न किया गया है जिस पर 2156.93 करोड़ रूपए व्यय होंगे। इसी तरह रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत 3618.89 लाख मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न करने के लिए 2102.21 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं।

नेहरू रोजगार योजना की एक उप स्कीम शहरी लघु उद्यम स्कीम के अंतर्गत 1996-97 में सब्सिडि के रूप में 46.17 करोड़ रूपए का व्यय किया गया और 1.29 लाख लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई गई। इसके अलावा, शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के अंतर्गत जो नेहरू रोजगार योजना की दूसरी उपस्कीम है, 39.48 रूपए के साथ 9.57 लाख मानव दिवसों का रोजगार उत्पन्न किया गया। प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 70.60 करोड़ रूपए की केन्द्रीय धनराशि जारी की गई और इससे दस लाख लाभार्थियों (अनुमानित) को सहायता दी जानी थी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा जिन लाभार्थियों को ऋण एकीकृत किए गए थे उनकी संख्या 1996-97 में 2.18 लाख थी।

(वर्ष 1996-97 के सभी आंकड़े अनंतिम हैं)

कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है कि लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमांऊ क्षेत्र के 72 जिला नगरों मे किया गया है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) 2 अक्टूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। पीएमआरवाई इस अमय पूरे देश में 18 से 35 वर्ष की उमर के शिक्षित बेरोजगार युवकों कै लिए कार्यान्वित की जा रही है (जो कि हाई स्कूल उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्ण आई टी आई उत्तीर्ण अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किए हो) और जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी से अधिक न हो; अर्थात् 24,000 रुपये से अधिक न हो।

इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रु० तक की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उधार लेने वाले व्यक्ति से परियोजना की कुल लागत का

15 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होती है और उसे परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में जमा कराना पड़ता है। शेष 95 प्रतिशत बैंक द्वारा एक कम्पोजिट ऋण के रूप में साधारण ब्याज दर पर जैसा ऐसे ऋणों के लिए लागू हो स्वीकृत किया जाता है। उद्यमियों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण एक आवश्यक संघटक है। सरकार द्वारा महिला उधारकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें प्रशिक्षण और अन्य उद्यमिता विकास सहायता प्रदान की जाती है।

केवीआईसी की दो मिलियन रोजगार कार्यक्रम

केवीआईसी की ग्रामीण रोजगार सृजन स्कीम का शुभारम्भ बेरोजगार बेकलॉग में कमी करके आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा केवीआई क्षेत्र के अन्तर्गत दो मिलियन नए जॉब अवसरों के सृजन का अनुमोदन किया गया था। केवीआईसी इस कार्यक्रम को रु० 5600 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें से एक तिहाई बजटीय सहायता द्वारा और शेष ऋणों द्वारा।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई रोजगार-योजनाएं

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई आर डी पी):

(i) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई० आर डी पी): 1980 से देश के सभी भागों में कार्यन्वित की जा रही आई आर डी पी एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम हैं। इस स्कीम के तहत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों को निधियों का आवंटन किया जाता है।

आई आर डी पी का उद्देश्य सब्सिडी के रूप में सहायता तथा बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे उत्पादक परिसम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सकें तथा सतत् आधार पर गरीबी की रेखा को पार करने हेतु उपयुक्त कौशल का विकास कर सकें। लक्षित समूह में प्रमुखतः छोटे तथा सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण दस्तकार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 की कीमतों पर 1100 रुपये की गरीबी की रेखा से नीचे हैं। लक्षित समूह में कुछ श्रेणियों का कवरेज सुनिश्चित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50 प्रतिशत, महिलाएं 40 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से अपंग 3 प्रतिशत सब्सिडी की उच्चतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपये है, अन्यों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्रों में 5,000 रुपये और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम से भिन्न क्षेत्रों में 4,000 रुपये है। हाल ही में प्रशिक्षण साक्षर युवकों के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है जिसके लिए देय सब्सिडी परियोजना लागत की 50 प्रतिशत या 7,500 रु० जो भी कम हो, है, इसके अलावा पांच लाभार्थियों के समूह के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 1.25 लाख रु०, जो भी कम हो, कर दिया गया है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्राइसेम) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डीडब्ल्यूसीआरए) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण उप स्कीमें हैं।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई): जे आर वाई एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो 1989 से चल रहा है। जे आर वाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना है। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सतत् रोजगार तथा उनके सीधे और लगातार लाभों के लिए ग्रामीण गरीबों के हित में परिसम्पत्तियों का सृजन करना है ताकि उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समग्र जीवन गुणवत्ता मे सुधार हो सके। इस योजना के तहत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्य तथा संघ राज्य को निधियां आबंटित की जाती हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में जिलों के पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर आवंटन किये जाते हैं, जिसमें जिले मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति कृषि कामगारों, कृषि उत्पादन के विपरीत बराबर भारांश को ध्यान में रखा जाता है। निधियों को (संशोधित वितरण के अंतर्गत) ग्राम पंचायतों, अंतर मध्य श्रेणी पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच 65:15:20 के अनुपात में वितरित किया जाता है।

(iii) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस): रोजगार आश्वासन स्कीम 2 अक्टूबर, 1993 को 1752 अभिनिर्धारित पिछड़े इलाकों, जो सूखा प्रवण, मरुस्थल, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं तथा जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, में आरम्भ की गई थी। इस स्कीम का अब 1997-98 से देश के सभी ब्लॉकों में विस्तार कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अकुशल सार्वजनिक कार्य 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना होता है जो कम कृषि कार्य के मौसम के दौरान इसकी तलाश में रहते हैं। इसका दूसरा लक्ष्य ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जल तथा मृदा संरक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा आंगनवाड़ी क्रियाकलाप इस स्कीम के तहत अनुमत्य कार्य है। वर्ष 1995-96 से जलसंभर विकास कार्य आरम्भ करने के लिए निधियों का 50 प्रतिशत हिस्सा नियत किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम आवश्यकता आधारित स्कीम हैं और इसलिए कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम कृषि कार्य वाले मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्य की मांग के अनुरूप निधियों की मांग कर सकते हैं।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (यूपीएपीएस)

शहरी गरीबी को सुलझाने हेतु शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर निम्न दो शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है:—

(क) नेहरू रोजगार योजना (ख) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

ये सभी योजनाएं 60:40 के अनुपात में (केन्द्र का हिस्सा: राज्य का हिस्सा (विभिन्न यूपीएपीएस के प्रमुख लक्षण नीचे दिये जा रहे हैं:

नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)

शहरी गरीबी द्वारा उपस्थित चुनौती के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा 1989 में नेहरू रोजगार योजना आरम्भ की गई थी। यह शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए लक्षित है। (अर्थात् 1991-92 की कीमतों के अनुसार 11850 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार) योजना के तीन घटक हैं:—

(1) शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम (एसयूएमई) एसयूएमई गरीबों को उनका कौशल उन्नत करने और स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैय्या कराई जाती है। जिसकी अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 5000 रुपये और सामान्य लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 4000 रुपये है। परियोजना लागत की शेष राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 15,000 रुपये और सामान्य प्राप्तकर्ताओं के लिए 12,000 रुपये तक की अधिकतम राशि, ऋण के रूप में बैंकों से उपलब्ध होती है। स्कीम सभी शहरी बस्तियों पर लागू है।

(2) शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (एसयूडब्ल्यूई) एसयूडब्ल्यूई का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए शहरी गरीबों के श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रोजगार मुहैया कराना है स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए 60:40 का सामग्री श्रम अनुपात बनाए रखना होता है। यह स्कीम एक लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है।

(3) आवास और आश्रय स्थल उन्नयन स्कीम (एसएचएसयू) एसएचएसयू का उद्देश्य शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास और आश्रय स्थल उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और निर्माण कौशल का उन्नयन करना है। आवास/आश्रय उन्नयन के लाभ प्राप्तकर्ताओं को इस स्कीम के अंतर्गत 9950 रुपये की उच्चतम सीमा तक ऋण और 1000 रुपये की उच्चतम सीमा तक सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम 20 लाख से नीचे की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों के लिए लागू है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आईयूपीइपी):

शहरी गरीबी समस्याओं, खासकर छोटे नगरों में जहां पर्यावरण और विकास के लिए योजना हेतु संसाधनों की कमी के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर है की गंभीरता और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने दिनांक 15.8.94 को शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आई यूपीईपी) के नाम से एक एकीकृत स्कीम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों

और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मिलाकर शताब्दी के अंत तक लक्षित क्षेत्रों में शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए लक्षित कार्यक्रम के सहभागी क्रियान्वयन की परिकल्पना के माध्यम से उपयुक्त कार्यनीति के साथ एक समेकित ढंग से शहरी गरीबी के मूल कारणों पर प्रहार करना है। नये कर्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैः (क) सामाजिक क्षेत्रक लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि, (ख) सामुदायिक प्राधिकार (ग) सतत् समर्थन प्रणाली के माध्यम से कवरेज, (घ) रोजगार सृजन तथा कौशल उन्नयन, और (ड) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुधार और पर्यावरणीय सुधार।

कार्यक्रम के प्रमुख संघटक हैः

(क) सूक्ष्म उद्यमों और कौशल विकास की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार, (ख) बुनियादी भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार, (ग) आश्रय उन्नयन (घ) सामुदायिक संगठन और प्राधिकार (ड) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को सुदृढ़ीकरण, (च) राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि (एनयूपीईएफ) की स्थापना, (छ) शहरी डाटाबेस का विकास और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (ज) गैर सरकारी संगठनों का सहयोग।

यह कार्यक्रम 50000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है कि लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमांऊ क्षेत्र के 72 जिला नगरों मे किया गया है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) 2 अक्टूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। पीएमआरवाई इस अमय पूरे देश में 18 से 35 वर्ष की उमर के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए कार्यान्वित की जा रही है (जो कि हाई स्कूल उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्ण आई टी आई उत्तीर्ण अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किए हो) और जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी से अधिक न हो; अर्थात् 24,000 रुपये से अधिक न हो।

इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रु० तक की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। उधार लेने वाले व्यक्ति से परियोजना की कुल लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होती है और उसे परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में जमा कराना पड़ता है। शेष 95 प्रतिशत बैंक द्वारा एक कम्पोजिट ऋण के रूप में साधारण ब्याज दर पर जैसा ऐसे ऋणों के लिए लागू हो स्वीकृत किया जाता है। उद्यमियों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण एक आवश्यक संघटक है। सरकार द्वारा महिला उधारकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें प्रशिक्षण और अन्य उद्यमिता विकास सहायता प्रदान की जाती है।

केवीआईसी की दो मिलियन रोजगार कार्यक्रम

केवीआईसी की ग्रामीण रोजगार सृजन स्कीम का शुभारम्भ बेरोजगार बेकलॉग में कमी करके आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा केवीआई क्षेत्र के अन्तर्गत दो मिलियन नए जॉब अवसरों के सृजन का अनुमोदन किया गया था। केवीआईसी इस कार्यक्रम को रु० 5600 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें से एक तिहाई बजटीय सहायता द्वारा और शेष ऋणों द्वारा।

Delegation of Financial powers for speedy implementation of projects

1830. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had directed the Cabinet Secretary to evolve effective programme for delegation of financial powers and simplification of procedures for speedy implementation of on-going and new projects;

(b) whether any time-limit was set for the purpose and the details of the Ministries concerned with this;

(c) whether any report has been received in this regard; and

(d) if so, the broad details of the recommendations in the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) The Government has been concerned about the need for streamlining the expenditure sanction